


राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक : डीसी/ई/एफ-26/ 2015/

दिनांक : / /2015

--: संशोधन आदेश :-

संगठन से जारी परिपत्र संख्या डीसी-2/2015/82 दिनांक 02.03.2015 के पैरा 4(अ) से जारी निर्देश यथा सभी सहायक औषधि नियंत्रक उनके साथ कार्य कर रहे औषधि नियंत्रण अधिकारियों को कम से कम अलग अलग स्थानों में Randomly Selected 5 औषधि विक्रेताओं के नाम प्रत्येक सप्ताह में देंगे जिसमें जिला मुख्यालयों के बाहर स्थित विक्रेताओं के नाम भी होंगे में प्रशासनिक विभाग की आई0डी0 संख्या 1706/पीएचएस/15 दिनांक 10.08.2015 से जारी निर्देश की पालना में आंशिक संशोधन कर निर्देश दिये जाते हैं कि अब सहायक औषधि नियंत्रक केवल 10 निरीक्षण हेतु ही औषधि नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित करेंगे एवं 10 निरीक्षण जो औषधि नियंत्रण अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे, निरीक्षण किये जाने वाले औषधि विक्रेताओं के नामों की सूची औषधि नियंत्रक एवं सहायक औषधि नियंत्रक को प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में अगले माह में किये जाने वाले निरीक्षणों की सूचना भिजवायेंगे। यह सूचना ईमेल अथवा पत्र द्वारा प्रेषित की जावेगी। सम्बन्धित औषधि नियंत्रण अधिकारी उन्ही औषधि विक्रेताओं का ही निरीक्षण करे जो उनके द्वारा औषधि नियंत्रक एवं सहायक औषधि नियंत्रक को अनुमोदन हेतु भेजे गये हैं।



(अजय कुमार जैन)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर।

क्रमांक : डीसी/ई/एफ-26/ 2015/ 497

दिनांक : 13/08/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय को उनके आई0डी0 संख्या 673/एचएम/15 दिनांक 12.05.15 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को आई0डी0 संख्या 1706/पीएचएस/15 दिनांक 10.08.2015 की पालना में सादर सूचनार्थ।
3. औषधि नियंत्रक-1A, राज0 जयपुर।
4. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
5. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय मु0 को भेज कर लेख है कि उक्त को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
7. प्रभारी, सी डेस्क, मुख्यालय
8. रक्षित पत्रावली।


(अजय कुमार जैन)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर।